(95)

पृ.क्र.-

पिछला	अगला

वनोपज के परिवहन के लिये परिवहन शुल्क में संशोधन हेतु प्रस्ताव :

वर्ष 2009 में अधिसूचना द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र 21 अगस्त 2009 को मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम 2000 के नियम 5 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा 2001 में लागू दरों को पुनरीक्षित करते हुए नई दरें प्रस्तावित की जाकर अधिसूचना जारी की गई थी ।

इस अधिसूचना में जारी दरों का मध्यप्रदेश के विभिन्न व्यापारिक संगठनों, किसान संघों एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा विरोध किया गया था , जिसकी समीक्षा कर नई दरें प्रस्तावित की जा रही हैं ।

मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम 2000 के नियम 5 के अन्तर्गत प्रदेश के अन्दर व बाहर वनोपज के परिवहन के लिये परिवहन शुल्क में संशोधन हेतु जारी की जाने वाली अधिसूचना का प्रारूप हिन्दी एवं अंग्रेजी में अनुमोदनार्थ संलग्न है । ट्रक एवं ट्रैक्टर –ट्राली से परिवहन हेतु शुल्क में वृध्दि नहीं की गई है केवल वाहनों का वर्गीकरण किया गया है । कृपया अनुमोदन उपरान्त अधिसूचना जारी करने हेतु शासन को अंकित करना चाहेगें ।

(ए एस अहलावत)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

अपर मुख्य सचिव वन

F-5/R-11 12/01/11

Pl. examine quickly.

13.1.11

AS(F)

14/1/11

US(c)

17-1-11

17/1/11

Note sheet 2010